RMSC
RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION
।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांकः प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2021-22/210 दिनांक : 18-05-2021

कार्यालय आदेश

M/s Overseas Health Care Pvt. Ltd., 355 Km. Milestone, National Highway No. 1, P.O.Box No.- 25, Phillaur-144410 (Pb). की निविदा क्रमांक F.02 (257)/RMSCL/Proc./Drug/NIB-23/2018/1298 dated 22.11.2018 के तहत औषधि Albendazole Tablets IP 400 Mg(Detail In Rc) [66A] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 3288 dated 04.01.2019 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 16 बैच को Dissolution Test में अमानक कोटि का घोषित किया गया।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति व निर्णयानुसार 03 बैचो (ALB-01, ALB-02, ALB-03 M/D- 01/2019, E/D- 06/2021) के नमूनों को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के उक्त 03 बैचो (ALB-01,ALB-02,ALB-03 M/D 01/2019, E/D 06/2021) को Dissolution Test में अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई। निर्णयानुसार समस्त 16 बैचो को Testing हेतु Govt. Drug Testing Laboratory, Jaipur में भिजवाया गया। Govt. Drug Testing Laboratory, Jaipur से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त औषधि के समस्त 16 बैचो को Dissolution Test में अमानक कोटि का घोषित किया गया। इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तो के अनुसार डिबार कर दिया जाये ?

Govt. Drug Testing Laboratory, Jaipur से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त औषधि के समस्त 16 बैचो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 27.01.2021 को आयोजित की गई, में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। Govt. Drug Testing Laboratory, Jaipur ने औषधि के समस्त 16 बैचो को अमानक कोटि का घोषित किया है, फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन व निविदा की शर्त के तहत Not of Standard Quality के साथ-साथ Grossly Substandard की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जित दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/ RMSC/ QC/ Test/ 2018-19/ 952 दिनांक 28.08.2018 के क्लॉज 4.6(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Overseas Health Care Pvt. Ltd., 355 Km. Milestone, National Highway No. 1, P.O.Box No.- 25, Phillaur-144410 (Pb). की औषधि Albendazole Tablets IP 400 Mg(Detail In Rc) [66A] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 02(दो) वर्ष के लिए डिबार (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

आलोक रंजन
आइ.ए.एस.
प्रबन्धनिदेशक
आर.एम.एस.सी.